

नीलामी/विक्री सूचना

सूचित किया जाता है कि बड़ौदा यू.पी. बैंक, बस्ती द्वारा वित्तपोषित निम्नलिखित दृष्टि बंधित वाहन जिसको निम्नानुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जे में लिया गया है। दिनांक 25.11.2022 को "जैसी है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीलामी किया जायेगा। निम्नलिखित उधारकर्ता को नोटिस दी जाती है की वो नीलामी की तिथि से पूर्व अपना कुल बकाया, ब्याज व अन्य खर्च सहित अदा कर दे। इसमें असफल होने पर उस वाहन को नीलामी कर दी जाएगी तथा बकाया राशि यदि कोई हो तो आपसे ब्याज एवं लागत सहित यह राशि वसूल ली जाएगी।

क्र. सं.	ऋणी का नाम एवं पता	शाखा	वाहन का विवरण	बकाया धनराशि (रु०) + ब्याज एवं अन्य खर्च	आरक्षित मूल्य (रु०)	
					धरोहर राशि (रु०)	अन्य मूल्य (रु०)
1.	श्री अनूप कुमार सिंह पुत्र स्व. श्री राम कीर्ति सिंह ग्राम व पोस्ट-उनजी मुस्तखम, ब्लाक दुबोलिया, जनपद-बस्ती (उ.प्र.)	चिलमा बाजार	Tractor- MF7250 DI Eng.No.S1327107710 Chasis No.MEAC9025AH2118770 Reg. No. UP51AJ7176	रु. 4,47,373 / -	2,65,000.00	26,500.00
2.	श्री कृपा शंकर पुत्र राम भारत ग्राम- ब्रितियो पोस्ट-बानपुर, जनपद-बस्ती (उ.प्र.)	बानपुर	Tractor- PT445DS Plus Tractor Eng.No. E3241020 ChasisNo.B3217384 Reg.No. UP51X3997	रु. 4,28,235 / -	1,05,000.00	10,500.00
3.	1.श्री राज मंगल पुत्र भोरई ग्राम-कल्यानपुर पो. मझौआ बजुरी, भानपुर जनपद-बस्ती 2. राम उजागिर पुत्र राम आसरे ग्राम-भोखारी पोस्ट सोनहा बस्ती जनपद-बस्ती (उ.प्र.)	वाल्टरगंज	Tractor- Swaraj-744FE Eng.No. 433009SWN25428 Chasis No.WPCN45922958279 Reg.No. UP51AJ1032	रु. 3,08,661 / -	2,50,000.00	25,000.00

नीलामी का स्थान-बड़ौदा यू.पी. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, मालवीय रोड, बस्ती,

निविदा दिनांक-25.11.2022, समय- दोपहर 03.00 बजे

नीलामी की शर्तें - (1) यह नीलामी "जैसी है जहां है" के आधार पर हो रही है। (2) प्राधिकृत अधिकारी की अधिकतम जानकारी व विश्वास तक नीलामी की जा रही हैं चल-संपत्तियां भार मुक्त हैं। फिर भी इच्छुक आवेदनकर्ता को चाहिए की नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्वतंत्र रूप से सभी भार टाइटल व लेन आदि की स्वयं जांच कर लें। सभी संपत्तियों सभी वर्तमान एवं भविष्य के ज्ञात अथवा अज्ञात भारों के साथ बेचीं जा रही हैं। प्राधिकृत अधिकारी किसी प्रकार के तृतीय / अन्य पक्षकार के क्लेम अधिकारी एवं देनदारों के प्रति उत्तरदाई नहीं होगा। (3) बोली जमा करने से पहले वाहन/वाहन और निर्देश के बारे में निरीक्षण और संतुष्ट करने के लिए बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी, वे नीलामी की तारीख से पहले वाहन का निरीक्षण कर सकते हैं। (4) बोलीदाताओं को "अधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. बैंक" के पक्ष में डीडी / बैंकर्स चेक के रूप में जमा राशि बोली के साथ अग्रिम रूप से बस्ती में आरक्षित मूल्य का 10% जमा करना होगा। उच्चतम बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम नहीं होना चाहिए) को सफल बोलीदाता माना जाएगा, असफल बोलीदाता की शेष ईएमडी एक सप्ताह के भीतर बिना ब्याज के वापस भेज दी जाएगी। आवेदनकर्ता द्वारा मोहर बन्द लिफाफे दिनांक 24.11.2022 को शाम 4:00 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे और मोहर बन्द लिफाफे निविदा दिनांक 25.11.2022 को दोपहर 3:00 बजे खोले जाएंगे। (5) सफल बोलीदाताओं की बकाया राशि आंशिक विक्री प्रतिकल के लिए रखी जाएगी और असफल बोलीदाता की ईएमडी बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। ईएमडी जमा पर किसी भी स्थिति में कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। (6) सफल बोलीदाता को उसी दिन डीडी / बैंकर्स चेक / नकद के रूप में बोली राशि का 25% (ईएमडी को छोड़कर) जमा करना होगा और शेष राशि का भुगतान विक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर सख्ती से करना होगा, यदि वह विफल रहता है तो ऐसा करने पर उसके द्वारा पूर्ण में जमा की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा। (7) प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और अधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या नीलामी / रद्द करने का पूर्ण अधिकार है। (8) सफल बोलीदाता बाहन के लिए देय शुल्क / शुल्क जैसे स्टॉप शुल्क पंजीकरण शुल्क आदि कानून के अनुसार लागू होगा। (9) प्राधिकृत अधिकारी सरकार को किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार, साम, वाहन कर और / या किसी अन्य देय राशि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा या नीलामी के तहत वाहन के संबंध में कोई भी क्रेता ऐसे बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। (10) किसी भी समय बोली रद्द करने और विक्री से प्राप्त राशि की वापसी के मामले में बैंक द्वारा प्राप्त राशि पर बैंक कोई ब्याज का भुगतान नहीं करेगा। (11) यदि कोई ऋणी / गारंटर/बंधककर्ता नीलामी से पहले बैंक को पूरा बकाया चुकाते हैं तो नीलामी स्थगित होगी। इस प्रकार उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रीं)/बंधककर्ता(ओं) के पास नीलामी से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों को मुक्त कराने का मौका है बशर्त कि वह बैंक को देय पूरी राशि और शुल्क का भुगतान कर दें। (12) विक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट, अर्थात् <https://www.barodaupbank.in/sarfaesnotice.php> को देखें।

विक्री के लिए 15 दिन का नोटिस

एतद्वारा ऋणी/गारंटर/बंधककर्ता को सफल होने से पहले बैंक को उपरोक्त सभी देय राशियों को चुकाने के लिए नोटिस दिया जाता है, यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो गिरवी रखी गई संपत्ति को उल्लिखित तिथि को बेच दिया जाएगा और यदि कोई बकाया राशि बची है तो उसे देय ब्याज, शुल्क और व्यय के साथ वसूल किया जाएगा।